न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या –10/2020(राजस्व वाद) दायर दिनांक–17.7.2010

निर्णय दिनांक– 19-10-2020

अनवान

1–श्री गोतम पिता वेलजी गायरी निवासी वमासा तहसील सागवाडा (वादी)

बनाम

1– श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार सागवाडा जिला डूँगरपुर (प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री निखिल सोमपुरा

वकील प्रतिवादी– पैरोकार

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्त करने अन्तर्गत धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

वादी के वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि व0ादी के खातेदारी स्वामित्व एवं कब्जेशुदा कृषि भूमि मोजा वमासा में खाता संख्या 90/98 खसरा नम्बर 3420/2209 कुल खसरा एक रकबा 0.2427 हे0 स्थित है। उक्त कृषि भूमि वादी को दिनांक 22.5.1975 को मिसल संख्या 383 पट्टा कमांक 2688 के जरिये आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है । यह कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज है परन्तु तत्कालिन राजस्व कर्मचारियों की त्रूटि से उक्त भूमि को नक्शे लठ्ठे मे पैमुद नही किया गया है इसकी जानकारी वादी को कृषि कार्य के दौरान वर्तमान में अन्य खातेदारों से सीमा विवाद होने पर हल्का पटवारी से

Scanned with CamScanner

सम्पर्क करने पर हुई है । यह कि उक्त खाते में इन्द्राज दुरस्ती से वादी के खातेदारी भूमि को नक्शे लठ्ठे में पैमुद किया जाता है तो अन्य खातेदारो को कोई आपत्ति नही है।

वादी ने वाद के अन्त में वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर वादी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3420/2209 रकबा 0.2427 हे0 को राजस्व रेर्काड के नक्शे लठ्ठे में दर्शाया जाकर पैमुद किया जाने निवेदन किया गया है ।

वादी द्वारा वाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ वर्तमान जमाबन्दी,आवंटन का पट्टा ,एवं खाते की पास बुक की प्रतियां प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रस्तुत रिपोर्ट कमांक 566 दिनांक 14.8.2020 में जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 90 के रूप में वादी का नाम खातेदार दर्ज है लेकिन खसरा नम्बर 3420/2209 रकबा 1बीघा 10 बीस्वा राजस्व नक्शा लठ्ठा में पैमुद नही है ,उक्त रिपोर्ट के साथ नकल जमाबन्दी , नकल नामान्तरकरण , नक्शा नकल प्रस्तुत की है ।

जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त दोनो पक्षकारान अभिभाषक द्वारा साक्ष्य में बयान प्रस्तुत नही कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में बहस उपरान्त निर्णय की सहमती प्रदान की जाने से बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वादी के वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित भूमि वादी को विधिवत आवंटित होना तथा इसकी पैमुदगी नही होने से पैमुद कराने निवेदन किया जाकर अपनी बहस समाप्त की।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में पत्रावली में प्रस्तुत जवाब / रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए वादी को उक्त भूमि 22.5.1975 को आवंटित होना तथा राजस्व नक्शा लठ्ठा में पैमुद नही होना बताते हुए खातेदार के रूप में वादी दर्ज होना बताया ।

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी / प्रतिवादी की बहस पर मनन किया । हम वकील वादी के इस तर्क से सहमत है कि विवादित भूमि वादी को आवंटित है लेकिन इसकी पैमुदगी नक्शा लठ्ठा में नही है।प्रतिवादी की ओर से भी प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट में विवादित भूमि वादी को आवंटित होना ,वादी विवादित भूमि का खातेदार दर्ज रेकार्ड होना बताते हुए पैमुद नही होना स्वीकार किया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विपक्षी पन्नालाल की ओर से पक्षकार बनाये जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो बाद सुनवाई विपक्षी द्वारा उल्लेखित खसरा नम्बर विवादित खसरा नम्बर से भिन्न होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन से वादी विवादित भूमि वादी को विधिवत आवंटित होकर वादी खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा पैमुद नही होने से पैमुद कराने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार एंव डिक्री किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मोजा वमासा के आराजी नम्बर 3420/2209 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को राजस्व रेकार्ड के नक्शे लठ्ठे में नियमानुसार पैमुद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19-10-2020 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with CamScanner